राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)

क्र. एफ 4(5)ग्रावि/नरेगा/मार्गदर्शिका/09-10 जयपुर, दिनांकः 24 JUN 2009

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी स्कीम,
समस्त राजस्थान।

विषयः- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत फर्जी जॉब कार्ड पाए जाने बाबत।

महोदय,

दिनांक 18.06.09 को आयोजित समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की समीक्षा के दौरान जिला कार्यक्रम समन्वयक, करौली द्वारा यह तथ्य ध्यान में लाया गया कि उनके जिले में लगभग 25000 जॉब कार्ड फर्जी पाए गए हैं। यह एक चिन्ता का विषय है एवं इसकी तुरंत जांच की जाकर ऐसे जॉब कार्डो को तुरंत निरस्त किया जाना आवश्यक है।

आप अपने जिले में जारी कार्डो की तुरंत रेण्डम जांच करावें एवं यदि इस प्रकार के प्रकरण पाए जाते हैं तो विस्तृत जांच कराई जाकर फर्जी जॉब कार्डो को तुरंत निरस्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

भवदीय

(जी.एस. सन्धु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, नरेगा को भेजकर उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित है।

परि.निदे एवं उपसचिव(ग्रारो)